



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)

Formerly Kanpur University, Kanpur

नम्बर सं०: सी०एस०जे०यू०वि०/सम्ब०/सं०: 711/2023

दिनांक: 14.06.

सा, मैं,

बन्धक/सचिव (प्रबन्ध समिति),

ANAKRANI DARSHAN SINGH SIKHSAN SANSTHAN, KANPUR DEHAT (KD75),

AURI JHINJHAK,

Kanpur Dehat

विषय:- स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
होदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांक: 07 Feb 2023 तथा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000, शासनादेश संख्या-4503/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 31 अगस्त, 2000, शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97 दिनांक 31 अक्टूबर, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 एवं शासनादेश संख्या-226/सत्तर-2-2020-18 (31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 के विधानानुसार माननीय कुलपति जी ने निम्नलिखित अभ्यर्थी के चयन का अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है।

FacultyName	FatherName	Designation	CourseName	Subject	DOB
AMIT KUMAR SHARMA	BHUVNESHVAR SHARMA	Assistant Professor	BACHELOR OF SCIENCE	CHEMISTRY	Jul 11 1983

- अभ्यर्थियों द्वारा अनुमोदन के पश्चात् सम्बन्धित महाविद्यालय में ही शिक्षण कार्य किये जाने एवं अन्य संस्थान या महाविद्यालय में कार्यरत न होने सम्बन्धी तथा प्रस्तुत समस्त शोध प्रपत्र सही होने सम्बन्धी शपथ पत्र मूल रूप में। अनुमोदित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य के नियुक्त पत्र, अनुबन्ध पत्र एवं कार्यभार ग्रहण आख्या तथा बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रपत्र 01 सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त प्रपत्र निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् शिक्षक कोड ऑडिट किया जायेगा।
- महाविद्यालय के प्रबंधन द्वारा सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य के शैक्षिक एवं कार्यानुभव सम्बन्धी प्रपत्रों का सत्यापन अपने स्तर से आवश्यक रूप से कराया जायेगा तथा सत्यापन आख्या संकलित की जायेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर उक्त आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रस्तुत किये गये शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्र/अन्य प्रपत्रों में यदि किसी प्रकार की त्रुटि भविष्य में पायी जाती है तो इसके जिम्मेदार सम्बन्धित सहायक आचार्य/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य महाविद्यालय के प्रबन्धक होंगे।

[Signature]

(कुलसचिव)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय
कानपुर

निलिखित:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य।
- जिजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

[Signature]

(कुलसचिव)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय
कानपुर